

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 97/2017

लेखासिंह पुत्र मालसिंह जाति रायसिख निवासी 1 सिद्धुवाला तहसील सूरतगढ
जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

—रेस्पॉण्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज.भू-रा.अधि. 1956

विरुद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ दिनांक 31.01.2017 एवं तहसीलदार
सूरतगढ दिनांक 08.03.2016

उपस्थिति:-

श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सूरतगढ ने अपने
आदेश दिनांक 08.03.2016 से अपीलांट को चक 1 एस.पी.डी. के मु.नं. 64/326,
की 2.314है0 भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, तावान कायम करने के
आदेश दिये हैं। उक्त आदेश की अपीलांट ने अति.कलक्टर सूरतगढ के समक्ष
प्रथम अपील पेश की। अति.कलक्टर सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 31.01.2017
से अपील अपीलांट खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने यह
अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में
वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का
पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अपीलांट का पेशा काश्तकारी है एवं वह

404

नियमन करवाने की पात्रता रखता है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया है वह उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी, जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। तहसीलदार ने अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया वह उचित होने से उसकी अपील भी अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ द्वारा खारिज की है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।


अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 31.01.2017 के विरुद्ध दिनांक 11.08.2017 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है? राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि रकबा राज है, जिसपर अपीलांट का साधिकार कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधी. न्यायालय में पेश किया और न ही इस न्यायालय में पेश किया जिसके यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विवादित भूमि पर अपीलांट का साधिकार कब्जा काश्त हो। अपीलांट ने अपने अपील मीमों/ बहस में जो बिन्दु उठाए हैं उनका विस्तृत विवेचन अधी. न्यायालय अति.कलक्टर सूरतगढ ने अपने निर्णय में कर दिया है जो कि विधि अनुसार है। उस विवेचन के अनुसार स्पष्टतया अपीलांट किसी प्रकार की राहत का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया है

25

वह उचित है एवं उसकी अपील भी अतिरिक्त कलक्टर द्वारा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर